Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- भीलवाड़ा में तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 29 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय द्वारा आज कार्यवाही करते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रतलाम में दर्ज प्रकरण का अनुसंधान **तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.)** द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण मे गिरफ्तारशुदा परिवादी के भाई के साथ मारपीट नही करने एवं उक्त प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम की मदद करने की एवंज मे 1 लाख 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा 10,000/– रूपये परिवादी से ग्रहण करना तथा शेष राशि एक लाख रूपये मे से 50,000/– रूपये रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथो पकडा गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी. बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) पर दर्ज प्रकरण संख्या 462/2026 धारा 318 (4) बी.एन.एस. 2023 प्रकरण मे गिरफ्तारशुदा परिवादी के भाई के साथ मारपीट नही करने एवं उक्त प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम की मदद करने की एवज मे 1 लाख 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है ।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण सिंह टोगस** के सुपरवीजन में आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नरपत सिंह चारण** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी तपेश गोसाई पुत्र स्व. श्री ललन गोसाई, उम्र 40 वर्ष निवासी पत्रकार कॉलोनी, जावरा पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) हाल प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म. प्र.) से 50,000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर ट्रैप कार्यवाही करते हुए बरामद किये गये। रिश्वत राशि 50,000/– रूपये आरोपी की वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की जेब से बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री **हेल्पलाइन नम्बर 1064** एवं **व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।